

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 975

दिनांक :- 24/09/2024

आदेश संख्या:- 171

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6/2/एफ.डी./रुल्स/98 दिनांक 07.02.1998 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं. लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	प्रथम चयनित वेतनमान देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जयकिशन सारस्वत	319/1994 2596	22.06.1996	22.06.2005	

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(20)वित्त/गुप-2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)(डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त चयनित वेतनमान इस शर्त पर स्वीकृत की जाता है कि भविष्य में बकाया अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.98 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पूर्व में प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है।
2. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
3. गत वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 975

दिनांक:- 24/09/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)/एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)